22-8-19 वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली को पेशी में लिये जाने बाबत निवेदन किये जाने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा को शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित होने पर बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या – 042/2019 मोहनलाल बनाम लेखराम)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 042/2019

1 मोहन लाल पुत्र श्री लालचंद जाति मेघवाल निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 लेखराम पुत्र श्री मलू जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 राजाराम पुत्र श्री लेखराम जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 भागवंती पुत्री श्री लेखराम जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 मैना पुत्री श्री लेखराम जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 कृष्ण पुत्र श्री लालचंद जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 मान सिह पुत्र श्री लालचंद जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7 सुपारी देवी पत्नी लालचंद जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
10 समेस्ता पुत्री लालचन्द जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता ..... वादी
2. कुमारी सन्तोष अधिवक्ता ..... प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10
3. राज पैरोकार ..... प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9

## –:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पडदादा मलूराम के नाम से 55 पूर्व की खातेदारी भूमि थी जो मलूराम के फौत होने पर उनके छः पुत्र लक्ष्मण–बस्ती–गोपी–लेखराम–हीरा–गनफूल को विरासतन प्राप्त हुई जो कि प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के दादा) के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक नम्बर 1 सी.एस. के खाता संख्या 11/60 पत्थर नम्बर 106/361 मुरबा नम्बर 17 किला नम्बर 16 ता 25 पत्थर नम्बर 106/362 मुरबा नम्बर 24 किला नम्बर 1 ता 20, 21/2 से 25/2 कुल 6.200 पत्थर नम्बर 107/362 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 1 ता 20, 21/2 से 25/2 कुल 6.196 हैक्टर कुल 14.962 हैक्टर मे से प्रतिवादी नम्बर 1 का 0.513 हैक्टर व चक नम्बर 1 सी. खाता संख्या 18/15 पत्थर नम्बर 116/363 मुरबा नम्बर 21 किला नम्बर 16 ता 22, 23, 24 कुल 1.998 हैक्टर पत्थर नम्बर 116/364 मुरबा नम्बर 24 किला नम्बर 1, 2, 3, 9, 10, 11 कुल

लगातार ..... 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

0.620 हैक्टर कुल 2.618 हैक्टर मे प्रतिवादी नम्बर 1 का 0.436 हैक्टर व चक नम्बर 14 एम. डबल्यू.एम. खाता संख्या 28/24 पत्थर नम्बर 115/363 मुरबा नम्बर 21 किला नम्बर 1 ता 25 पत्थर नम्बर 115/364 मुरबा नम्बर 30 किला नम्बर 1 ता 10 कुल 8.513 हैक्टर मे से प्रतिवादी संख्या 1 का 1.419 हैक्टर व चक 11 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 35/69 पत्थर नम्बर 116/363 मुरबा नम्बर 1 किला नम्बर 24/2, 25/2 कुल 0.152 हैक्टर पत्थर नम्बर 116/364 मुरबा नम्बर 6 किला नम्बर 3/1, 4 ता 8, 9/2, 11/2, 12 ता 19, 21/2 ता 25/2 कुल 4.769 हैक्टर कुल 4.921 हैक्टर मे से प्रतिवादी नम्बर 1 का 0.820 हैक्टर का हक व हिस्सा है तथा कृषि भूमि दर्ज कागजात है। नकल जमाबंदी वाके चक 1 सी.एस. खाता संख्या 11/60 सम्वत 2073–2076, चक नम्बर 1 सी. खाता संख्या 18/15 सम्वत 2072 से 2075 चक नम्बर 14 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 28/24 सम्वत 2071 से 2074 व चक नम्बर 11 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 35/69 सम्वत 2070 से 2073 हमराह प्रस्तुत है।

वादी के दादा लेखराम प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त वर्णित कृषि भूमि अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है तथा उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है। वादी के पिता लालचंद का स्वर्गवास हो चुका है प्रतिवादी नम्बर 1 लेखराम की भूमि मे मुझ वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि अभी तक प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी के हकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम नही होने से वादी बैंक लोन व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है अतः वादी इस अमर की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम के नाम दर्ज कृषि भूमि मे वादी प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 के साथ 1/2 हिस्सा का हकदार व खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 राजाराम 1/2 हिस्सा का हकदार व खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 व 7 ने अपना हक मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 5 व 6 के पक्ष मे तर्क कर दिया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 3 व 4 व 7 का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वाद पर की चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार भूमि का वादी को खातेदार घोषित करवा देवे पहले तो वे टालमटोल करते रहे आखिर 7 रोज पूर्व मुकाम चोहिलावाली में स्पष्ट इन्कार हो गये। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को बतौर भू–धारक होने से वाद मे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम के नाम दर्ज कृषि भूमि वाके चक नम्बर 1 सी.एस. खाता संख्या 11/60 की 0.513 हैक्टर भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 के साथ 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम का 1/2 हिस्सा व चक नंम्बर 1 सी. खाता संख्या 18/15 की 0.436 हैक्टर भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 के साथ 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम का 1/2 हिस्सा व चक नम्बर 14 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 28/24 की 1.419 हैक्टर भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 के साथ 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम का 1/2 हिस्सा व चक नम्बर 11 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 35/69 की 0.820 हैक्टर भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8 के साथ 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम का 1/2 हिस्सा का हक हिस्सा तथा खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 7 का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय दिलाना उचित समझे, दिलाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लगातार ............... 3

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 13.03.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणो द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त प्रकरण मे हम पक्षकारान का पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। वादी के पडदादा मलूराम के नाम से 55 पूर्व की खातेदारी भूमि थी जो मलूराम के फौत होने पर उनके छः पुत्र लक्ष्मण–बस्ती–गोपी–लेखराम–हीरा–मनफूल को विरासतन प्राप्त हुई जो कि प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के दादा) के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक नम्बर 1 सी.एस. के खाता संख्या 11/60 पत्थर नम्बर 106/361 मुरबा नम्बर 17 किला नम्बर 16 ता 25 पत्थर नम्बर 106/362 मुरबा नम्बर 24 किला नम्बर 1 ता 20, 21/2 से 25/2 कुल 6.200 पत्थर नम्बर 107/362 मुरबा नम्बर 25 किला नम्बर 1 ता 20, 21/2 से 25/2 कुल 6.196 हैक्टर कुल 14.962 हैक्टर मे से प्रतिवादी नम्बर 1 का 0.513 हैक्टर व चक नम्बर 1 सी. खाता संख्या 18/15 पत्थर नम्बर 116/363 मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 16 ता 22, 23, 24 कुल 1.998 हैक्टार पत्थर नम्बर 116/364 मुरबा नम्बर 24 किला नम्बर 1, 2, 3, 9, 10, 11 कुल 0.620 हैक्टर कुल 2.618 हैक्टर मे प्रतिवादी नम्बर 1 का 0.436 हैक्टर व चक नम्बर 14 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 28/24 पत्थर नम्बर 115/363 मुरबा नम्बर 21 किला नम्बर 1 ता 25 पत्थर नम्बर 115/364 मुरबा नम्बर 30 किला नम्बर 1 ता 10 कुल 8.513 हैक्टर मे से प्रतिवादी संख्या 1 का 1.419 हैक्टर व चक 11 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 35/69 पत्थर नम्बर 116/363 मुरबा नम्बर 1 किला नम्बर 24/2, 25/2 कुल 0.152 हैक्टर पत्थर नम्बर 116/364 मुरबा नम्बर 6 किला नम्बर 3/1, 4 ता 8, 9/2, 11/2, 12 ता 19, 21/2 ता 25/2 कुल 4.769 हैक्टर कुल 4.921 हैक्टर में से प्रतिवादी नम्बर 1 का 0.820 हैक्टर का हक व हिस्सा है वादी के दादा लेखराम प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त वर्णित कृषि भूमि अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है तथा उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 व 7 एवं 10 ने अपना हक मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 5 व 6 के पक्ष मे तर्क कर दिया है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम के नाम दर्ज कृषि भूमि मे वादी को प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 कृष्ण कुमार, मानसिह, सुपारी के साथ 1/2 हिस्सा का हकदार व खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी नम्बर 2 राजाराम को 1/2 हिस्सा का हकदार व खातेदार काश्तकार घोषित जावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 एवं 10 का नाम कलमजन किया जावे तो हम पक्षकारान को कोई आपति एतराज नही है हम सहमत है।

राज पैरोकार द्वारा स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
अधिकारी

लगातार ........ 4

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**–:: आदेश ::–**

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम के नाम दर्ज कृषि भूमि वाके चक नम्बर 1 सी.एस. खाता संख्या 11/60 में लेखराम पुत्र मलुराम के हिस्सा की भूमि में वादी मोहनलाल पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 5, कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 6 मानसिंह पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 7 सुपारीदेवी पत्नी लालचन्द साथ 1/2 बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम पुत्र लेखराम 1/2 हिस्सा व चक 1 सी. खाता संख्या 18/15 में लेखराम पुत्र मलुराम के हिस्सा की भूमि मे वादी मोहनलाल पुत्र लालचन्द,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लगातार ............... 5

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 5, कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 6 मानसिंह पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 7 सुपारीदेवी पत्नी लालचन्द साथ 1/2 बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम पुत्र लेखराम 1/2 हिस्सा, चक नम्बर 14 एम.डब्ल्यू.एम. खाता संख्या 28/24 में लेखराम पुत्र मलुराम के हिस्सा की भूमि मे वादी मोहनलाल पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 5, कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 6 मानसिंह पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 7 सुपारीदेवी पत्नी लालचन्द साथ 1/2 बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम पुत्र लेखराम 1/2 हिस्सा व चक नम्बर 11 एम.डब्ल्यू.एम. खाता संख्या 35/69 में लेखराम पुत्र मलुराम के हिस्सा की भूमि मे वादी मोहनलाल पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 5, कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 6 मानसिंह पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 7 सुपारीदेवी पत्नी लालचन्द साथ 1/2 बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम पुत्र लेखराम 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त समस्त खातों में प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम पुत्र मलुराम प्रतिवादी संख्या 3 भागवंती पुत्री श्री लेखराम प्रतिवादी संख्या 4 मैना पुत्री श्री लेखराम प्रतिवादी संख्या 10 समेस्ता पुत्री लालचन्द का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़/पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 22.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 042/2019

1 मोहन लाल पुत्र श्री लालचंद जाति मेघवाल निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 लेखराम पुत्र श्री मलू जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 राजाराम पुत्र श्री लेखराम जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 भागवंती पुत्री श्री लेखराम जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 मैना पुत्री श्री लेखराम जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 कृष्ण पुत्र श्री लालचंद जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 मान सिंह पुत्र श्री लालचंद जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7 सुपारी देवी पत्नी लालचंद जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
10 समेस्ता पुत्री लालचन्द जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

## निर्णय दिनांक :– 22.08.2019

वादी की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से कुमारी सन्तोष अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 22.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम के नाम दर्ज कृषि भूमि वाके चक नम्बर 1 सी.एस. खाता संख्या 11/60 में लेखराम पुत्र मलुराम के हिस्सा की भूमि में वादी मोहनलाल पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 5, कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 6 मानसिंह पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 7 सुपारीदेवी पत्नी लालचन्द साथ 1/2 बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम पुत्र लेखराम 1/2 हिस्सा व चक 1 सी. खाता संख्या 18/15 में लेखराम पुत्र मलुराम के हिस्सा की भूमि मे वादी मोहनलाल पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 5, कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 6 मानसिंह पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 7 सुपारीदेवी पत्नी लालचन्द साथ 1/2 बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम पुत्र लेखराम 1/2 हिस्सा, चक नम्बर 14 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 28/24 में लेखराम पुत्र मलुराम के हिस्सा की भूमि मे वादी मोहनलाल पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 5, कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 6 मानसिंह पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 7 सुपारीदेवी पत्नी लालचन्द साथ 1/2 बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम पुत्र लेखराम 1/2 हिस्सा व चक नम्बर 11 एम.डबल्यू.एम. खाता संख्या 35/69 में लेखराम पुत्र मलुराम के हिस्सा की भूमि मे वादी मोहनलाल पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 5, कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 6 मानसिंह पुत्र लालचन्द, प्रतिवादी संख्या 7 सुपारीदेवी पत्नी लालचन्द साथ 1/2 बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 राजाराम पुत्र लेखराम 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त समस्त खातों में प्रतिवादी संख्या 1 लेखराम पुत्र मलुराम प्रतिवादी संख्या 3 भागवंती पुत्री श्री लेखराम प्रतिवादी संख्या 4 मैना पुत्री श्री लेखराम प्रतिवादी संख्या 10 समेस्ता पुत्री लालचन्द का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़/पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| वाद पत्र के लिये स्टाम्प | – – | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | – – |
| शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | – – | अर्जी के लिये स्टाम्प | – – |
| प्रदर्शो के लिये स्टाम्प | | | |

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 16:09:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: